

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

अपील संख्या – 674 / 2014 / भीलवाड़ा

मैसर्स सुजुकी टैक्सटाइल्स लि., भीलवाड़ा

.....अपीलार्थी

बनाम्

सहायक आयुक्त, विशेष वृत्त, भीलवाड़ा।

.....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित : :

श्री आर.एस.जैथलिया,  
अधिवक्ता ।

.....अपीलार्थी की ओर से

श्री आर.के.अजमेरा,  
उप-राजकीय अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 30.03.2015

निर्णय

1. अपीलार्थी, व्यवहारी द्वारा यह अपील अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर (अपील्स), भीलवाड़ा (जिसे आगे “अपीलीय अधिकारी” कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.02.2011 के विरुद्ध पेश की गयी है, जो अपील संख्या 66 / वैट / 2013–14 के संबंध में पारित किया गया है तथा जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी ने सहायक आयुक्त, विशेष वृत्त, भीलवाड़ा (जिसे आगे “निर्धारण अधिकारी” कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे “अधिनियम” कहा जायेगा) की धारा 18 व 53 सपठित राजस्थान मूल्य परिवर्धित नियम, 2006 के नियम 28 के तहत निर्धारण वर्ष 2011–12 के लिये पारित निर्धारण आदेश दिनांक 28.06.2013 के जरिये अस्वीकार किये गये प्रत्यर्पण रु.9,32,060/- को अस्वीकार किये जाने पारित आदेश की पुष्टि अपीलीय अधिकारी द्वारा किये जाने को विवादित किया गया है ।

2. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा निर्धारण वर्ष 2011–12 में निर्यात पर प्रत्यर्पण रु.9,32,060/- का प्रपत्र वैट-21 प्रस्तुत कर क्लेम चाहा गया जिसके क्रम में प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्यात पर प्रत्यर्पण तिमाही प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किया गया। जारी नोटिस की पालना में अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया। प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी ने प्रस्तुत जवाब को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि अधिनियम की धारा 53 व नियम 28 के तहत प्रपत्र वैट-10 के साथ प्रपत्र वैट-21 व 26 एवम् अन्य वांच्छित दस्तोवज प्रस्तुत करने पर वैट-10 में समस्त आगत कर में से निर्गत कर करने के पश्चात् आगत कर शेष होने पर ही निर्यात पर प्रत्यर्पण देय के प्रावधान हैं। इसी क्रम में प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी ने नियम 28(2)के विशिष्ट प्रावधानों के आलोक में,

अपील संख्या – 674/2014/भीलवाड़ा

यह अभिनिर्धारित किया कि यदि व्यवहारी का विक्य संव्यवहार केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (जिसे आगे “केन्द्रीय अधिनियम” कहा जायेगा) 5(3) के अनुसार भारत के बाहर निर्यात के क्रम में किया गया है तो व्यवहारी निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रपत्र वैट-10 में विवरणी के साथ प्रपत्र-21 में उसके द्वारा चुकाये गये आगत कर के प्रतिदाय हेतु आवेदन करेगा, जबकि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उक्त की पालना किये जाने के अभाव में वैट-10 / वैट-07ए में सम्पूर्ण आगत कर का समायोजन निर्गत करे में लेने के पश्चात् किसी प्रकार की राशि शेष नहीं रहने के कारण प्रस्तुत क्लेम को अस्वीकार कर, आदेश दिनांक 28.06.2013 पारित किया गया है। उक्त पारित आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार कर दी गयी। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

3. उभयपक्षीय बहस सुनी गयी।

4. अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने उपस्थित होकर कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा वैट-10 व वैट-10ए में जो आगत कर घोषित किया गया है, उसमें निर्यात पर क्लेम किया गया आगत कर, शामिल नहीं है एवम् उक्त का लेखा पृथक् से अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा रखा गया है तथा क्लेम आवेदन पत्र निर्धारण वर्ष 2011–12 के लिये वार्षिक तैयार किया गया है, जिसका त्रैमासिक विवरण अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा संलग्न कर दिया गया था। विशिष्ट रूप से कथन किया कि प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश में केन्द्रीय अधिनियम की धारा 5(3) के तहत् विक्य संव्यवहार होना अंकित किया गया है जबकि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उक्त विक्य केन्द्रीय अधिनियम की धारा 5(1) के तहत् किया गया है, विशिष्ट रूप से कथन किया कि नियम 28(2) में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है कि प्रत्यर्पण हेतु क्लेम केवल प्रपत्र वैट-21 में ही प्रस्तुत किया जाना बाध्यकारी है। कथन किया कि निर्यात के क्रम में किये गये संव्यवहार का प्रतिदाय अधिनियम की धारा 53(2) के तहत् प्रदान किया/लिया जाना है। इसी प्रकार नियम 28(1) के अनुसार वांच्छित दस्तावेज प्रपत्र वैट-21 के संलग्न किया जाना बाध्यकारी है परन्तु यह अंकित नहीं है कि प्रत्यर्पण हेतु क्लेम केवल प्रपत्र वैट-21 में ही किया जाना बाध्सकारी है। विशिष्ट रूप से राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ.12(25)एफडी/टैक्स/11–145 दिनांक 09.03.2011 प्रभावी दिनांक 01.04.2011 की ओर ध्यानाकर्षित कर कथन किया कि उक्त अधिसूचना के जरिये पूर्व नियम 28 में व्यवहारी संदर्भ आगत कर के प्रतिदाय के दावे के लिए निर्धारण प्राधिकारी या प्रतिदाय के दावे के लिए निर्धारण प्राधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी को प्ररूप मूपक 10 में विवरणी सहित प्ररूप मूपक 21 में आवेदन प्रस्तुत

अपील संख्या - 674/2014/भीलवाड़ा

करेगा, के स्थान पर प्ररूप मूपक 10 में विवरणी प्रस्तुत करने के पश्चात् अंकित किया गया है। कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी भी नियम 28 में वांच्छित दस्तावेज प्रस्तुत करने के उपरांत प्ररूप 21 में प्रतिदाय हेतु आवेदन किया गया था जिसे दोनों अवर अधिकारियों द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 09.03.2011 में अंकित प्रावधानों को दरकिनार कर, अस्वीकार कर दिया गया, जो विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है। अतः अपने उक्त तर्कों के आधार पर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार करने की प्रार्थना कर, चाहे गये क्लेम को प्रदान करने का निवेदन किया गया।

5. प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने उपस्थित होकर, दोनों अवर अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों का समर्थन कर, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी।

9. उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया। रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया। हस्तगत प्रकरण के संबंध में जो तथ्यात्मक बिन्दु उभर कर आये हैं वह यह कि:-

(i) क्या अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा नियम 28 के तहत वांच्छित दस्तावेज निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिये गये थे ?

(ii) क्या अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रतिदाय हेतु आवेदन पत्र समयावधि में निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया था ?

(iii) क्या अधिसूचना दिनांक 09.03.2011 के आलोक में, प्रतिदाय हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र प्ररूप वैट-10/10ए के साथ प्रस्तुत किया जाना बाध्यकारी है ? अथवा वैट-10/10 ए की प्रस्तुति के बाद भी प्रस्तुत किया जा सकता है ?

उपर्युक्त वर्णित बिन्दुओं पर निर्णय से पूर्व राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 28 का अध्ययन किया जाना आवश्यक है जो निम्न प्रकार है:-

नियम 28.— **Refund in case of export.** (1) A dealer, whose sales are in the course of export out of the territory of India within the meaning of sub-section (1) of section 5 of the Central Sales Tax Act, 1956 (Act No. 74 of 1956), shall submit an application in Form VAT-21 “*after submission of return*” in Form VAT-10, to the assessing authority or the authorized officer for claim of refund of input tax paid by him, and shall furnish

(a) certified copy of air consignment note/bill of lading/railway receipt or goods vehicle or postal receipt or any other documents in proof of export of goods across the customs frontier of India;

(b) duplicate copy of the sale invoice;

(c) certified copy of VAT invoice on basis of which refund of input tax is being claimed;

(d) an undertaking to the effect that in case of re-import of such goods, he will communicate within a period of one month from the date of re-import into India of such goods, to the assessing authority or any other officer authorized by the Commissioner in this behalf and shall repay, forthwith, the amount of refund granted to him on this account along with

अपील संख्या – 674/2014/भीलवाड़ा

interest at such rate as may be notified under section 55 of the Act; and

(e) a certificate of an Accountant regarding the purchase and sale of goods and the correctness of claim of refund in Form VAT-26.

(2) A dealer, whose sales are in the course of export out of the territory of India within the meaning of sub-section (3) of section 5 of the Central Sales Tax Act, 1956 (Act No. 74 of 1956), shall submit an application in Form VAT-21 "*after submission of return*" in Form VAT-10 to the assessing authority or authorized officer for claim of refund of input tax paid by him, and shall furnish,

(a) attested copy of declaration Form VAT-15 or Form 'H' as the case may be;

(b) certified copy of air consignment note/bill of lading/railway receipt or goods vehicle or postal receipt or any other documents in proof of export of goods across the customs frontier of India;

(c) duplicate copy of the sale invoice;

(d) certified copy of purchase invoice on basis of which refund of input tax is being claimed;

(e) an undertaking of the exporter to the effect that in case of re-import of such goods, he will communicate within a period of one month from the date of reimport into India of such goods, to the selling dealer, to his assessing authority and the assessing authority or the authorized officer of the selling dealer; and an undertaking of the dealer claiming refund that on communication of re-import of such goods from the exporter, he shall repay, forthwith, the amount of refund granted to him on this account along with interest at such rate as may be notified by the State Government under section 55 of the Act; and

(f) certificate regarding the purchase and sale of goods and the correctness of claim of refund in Form VAT-26 of an Accountant.

(3) On submission of the documents as mentioned in sub-rule (1) or (2), the assessing authority or authorized officer, having been satisfied as to the correctness of documents furnished, shall issue the "*refund in Form VAT-23, VAT-23A or VAT-25*" as the case may be, within thirty days of the submission of the application completed in all respect.

रिकॉर्ड पत्रावली का अवलोकन करने पर यह पाया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रतिदाय हेतु प्ररूप वैट-21 दिनांक 17.01.2013 को प्रस्तुत किया गया है जो रिकॉर्ड पत्रावली के पृष्ठ क्रमांक 59 से 63 पर मौजूद है। प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रतिदाय हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया कि उक्त को वैट-10 विवरण के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 09.03.2011 के नियम 28(1) व 28(2) में अंकित "*along with the return*" के स्थान पर "*after submission of return*" पुनर्स्थापित किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना से स्पष्ट है कि कोई व्यवहारी, जिसके विक्रय केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 74) की धारा 5 की उप-धारा (1) के अर्थान्तर्गत भारत राज्य-क्षेत्र के बाहर निर्यात के अनुक्रम में हैं, प्ररूप मूल्यक 10 में विवरणी प्रस्तुत करने के उपरांत उसके द्वारा

अपील संख्या — 674/2014/भीलवाड़ा

संदत्त आगत कर के प्रतिदाय के दावे के लिए निर्धारण प्राधिकारी या प्रतिदाय के दावे के लिए निर्धारण प्राधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी को प्ररूप मूपक 21 में आवेदन प्रस्तुत करेगा। हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा न केवल प्ररूप मूपक 21 में प्रतिदाय हेतु आवेदन किया गया है बल्कि नियम 28 के तहत् वांच्छित दस्तावेज भी प्रस्तुत किये गये हैं। हस्तगत प्रकरण के संबंध में रिकॉर्ड पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा बिना दस्तावेजों की जांच किये ही केवल ऊपरी तौर पर अधिसूचना दिनांक 09.03.2011 का अन्यथा निष्कर्ष अवधारित कर, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार कर दी गयी है, जो विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील क्रमांक 4998/2008 मैसर्स इलाग्रेन्ड्रा एक्सपोर्ट प्रा.लि. बनाम स्टेट ऑफ केरल 22 टैक्स अपडेट 25 में माननीय न्यायालय द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि “.....It appears from the Memo of Appeal filed before the Appellate Tribunal that the appellant had produced trading accounts and details of purchases for the Assessment year, list of purchases supported by sales bills issued by registered dealers within and outside the State, copies of export invoices, bill of lading and other records. In such matter, it is the duty of the AO to collate the facts and ascertain whether the purchase was effected in the course of export.

.....Therefore, in our view, the matter needs to be remitted to the Deputy Commissioner (Appeals)-I, Commercial Taxes, Ernakulam. We make it clear the the Deputy Commissioner ) (A) will consider the averments in the Memo of Appeal filed by the appellant herein and decide the matter after taking into consideration the documents referred to herein above and give a finding.”

हस्तगत प्रकरण में भी निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी द्वारा रिकॉर्ड पत्रावली पर उपलब्ध दस्तोवज एवम् अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों पर बिना निष्कर्ष अवधारित किये ही अधिसूचना दिनांक 09.03.2011 का अन्यथा निर्वचन अवधारित कर, आदेश पारित किया गया है जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टांत के आलोक में विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है। फलस्वरूप, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार कर, दोनों अवर अधिकारियों द्वारा पारित आदेश अपास्त कर, प्रकरण निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर, निर्देश दिये जाते हैं कि वे रिकॉर्ड पत्रावली पर उपलब्ध दस्तोवज एवम् अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों व अधिसूचना दिनांक 09.03.2011 के आलोक में, दस्तावेजों की जांच कर, वांच्छित लाभ अपीलार्थी को नियमानुसार प्रदान करें।

परिणामतः प्रकरण उपर्युक्तानुसार कार्यवाही हेतु निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जाता है।

निर्णय प्रसारित किया गया ।

  
(मदन लाल)  
सदस्य